न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं.02, पीलीभीत।

मु0अ0सं0—298/2022
अतंर्गत धारा—4/25ए एक्ट
थाना—न्यूरिया, पीलीभीत।

<u>दिनांक 27.07.2022</u>

अभियुक्त वसीम की ओर से मु0अ0सं0—298/2022 अतंर्गत धारा—4/25ए एक्ट, थाना—न्यूरिया, जिला पीलीभीत में जमानत हेतु जमानत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक 04.07.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थीगण को उक्त वाद में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष हैं। प्रार्थी से दर्शायी गयी बरामदगी फर्जी है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार हैं। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है। अभियुक्त दिनांक 04.07.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

`विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त से एक चाकू बरामद होना तथा अपराध गंभीर प्रकृति का होना तथा अपराध गैरजमानतीय होना कहा गया है।

सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने के आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त वसीम की ओर से मु0अ0सं0—298/2022 अतंर्गत धारा—4/25ए एक्ट, थाना—न्यूरिया, जिला पीलीभीत में मु. 20,000/—रू0 का निजी बंधपत्र एवं समान राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर दौरान मुकदमा उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(अभिनव तिवारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट नं. 02 पीलीभीत।
27.07.2022

Digitally signed by ABHINAV TEWARI
Date: 2022.07.27 05:53:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court